संख्या-12/2026/47के-2/22-3-2025-17(122)/25

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युनूस पुत्र श्री लतीफ मियॉ, निवासी जनपद-देवरिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युनूस (बंदी संख्या-109/2013) पुत्र श्री लतीफ मियॉ, जो मलवावर टोला, थाना-बघौच घाट, जनपद-देवरिया का निवासी है। दिनांक 18-05-2008 की रात्रि में बंदी द्वारा एक लड़की उम्र लगभग 11 या 12 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा उसके द्वारा विरोध करने पर उसके गाल, गर्दन पर दांत से काटना एवं उसकी आंखों को फोड़ने का प्रयास करने जैसा जघन्य, घृणित अपराध करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-09/2009 में भा0द0वि0 की धारा-323 व 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, कक्ष संख्या-3, देवरिया के आदेश दिनांक 19-08-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07-10-2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 39 वर्ष, 23 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य व घृणित अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर

पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी युनूस पुत्र श्री लतीफ मियॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युनूस (बंदी संख्या-109/2013) पुत्र श्री लतीफ मियॉ, निवासी जनपद-देवरिया के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-47(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-12/2026/47के-2/22-3-2025-17(122)/25

दिनांक 14 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युनूस (बंदी संख्या-109/2013) पुत्र श्री लतीफ मियॉ, जो मलवावर टोला, थाना-बघौच घाट, जनपद-देवरिया का निवासी है। दिनांक 18-05-2008 की रात्रि में बंदी द्वारा एक लड़की उम्र लगभग 11 या 12 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा उसके द्वारा विरोध करने पर उसके गाल, गर्दन पर दांत से काटना एवं उसकी आंखों को फोड़ने का प्रयास करने जैसा जघन्य, घृणित अपराध करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-09/2009 में भा0द0वि0 की धारा-323 व 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, कक्ष संख्या-3, देवरिया के आदेश दिनांक 19-08-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07-10-2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 39 वर्ष, 23 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य व घृणित अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी युनूस पुत्र श्री लतीफ मियॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।